



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223814
CG-DL-E-19122020-223814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4038]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 4038]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4601(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं०	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट सं०	क्षेत्रफल (हे० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चायल	मलाक नागर	9	0.0235
			10	0.0350
			11	0.0560
			37	0.0560
			41	0.0110
			42	0.0180
			69 मिन्ज	0.0460
			70	0.0380
			72	0.0460
			77	0.0700
		अशरफपुर ता० असदुल्लापुर	431 मिन्ज	0.0267
			433 मिन्ज	0.0238
			467 मिन्ज	0.0118
			468	0.0100
			469	0.0160
			472	0.0280
			473	0.0230
			475 / 3	0.0420
			478 मिन्ज	0.0264
			481 मिन्ज	0.0320
			484 मिन्ज	0.0928
		महगांव उपरहार	388 मिन्ज	0.0334
			391 मिन्ज	0.0318
			394 मिन्ज	0.0156
			395 मिन्ज	0.0120
		जलालपुर बोरियो	154	0.0240
		सैयद सरावां	1509 ख मिन्ज	0.0351
2	सिराथू	सयारामीठपुर	1204 मिन्ज	0.0570
			1211	0.0340
		गोविन्दपुर गोरियो	21	0.0450
			292	0.0300
			293 मिन्ज	0.0460

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2094]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAY**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2020

S.O. 4601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer, Kaushambi, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Kaushambi in the State of Uttar Pradesh.

S. No.	Name of Tehsil.	Name of Village	Survey/ Plot No.	Area (Ha.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chayal	Malak Nagar	9	0.0235
			10	0.0350
			11	0.0560
			37	0.0560
			41	0.0110
			42	0.0180
			69 Minj	0.0460
			70	0.0380
			72	0.0460
			77	0.0700
		Ashrafpur Ta Asdullahpur	431 Minj	0.0267
			433 Minj	0.0238
			467 Minj	0.0118
			468	0.0100
			469	0.0160
			472	0.0280
			473	0.0230
			475/3	0.0420
			478 Minj	0.0264
			481 Minj	0.0320
			484 Minj	0.0928
		Mahgaon Uparhar	388 Minj	0.0334

			391 Minj	0.0318
			394 Minj	0.0156
			395 Minj	0.0120
		Jalalpur Borio	154	0.0240
		Saiyad Sarawan	1509 Kha Minj	0.0351
2	Sirathu	Sayaramithepur	1204 Minj	0.0570
			1211	0.0340
		Govindpur Gorio	21	0.0450
			292	0.0300
			293 Minj	0.0460

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2094]

A.K. SINHA, Executive Director (Land & Amenities)